Proceeding of Environmental Public Hearing organized by HP State Pollution Control Board Una according to the provisions of EIA Notification No: S.O. 1533 (E) Dated: 14/09/2006 on the proposal submitted by Sh. Bhupinder Thakur, Prop. M/s Shiva Stone Crusher, VPO Dhamandri, Tehsil & Distt. Una (HP) for extraction of sand, stone and bajri @ 32,000 MTPA from Khasra Nos., 596 & 599 falling in Mauza & Mohal Sanjhot, Tehsil & Distt. Una (HP) over an area measuring 02-47-13 Hectares (Private Land, Hill Slope), on 23/09/2025 at 11:30 AM at Open Ground Near Panchayat Ghar of Gram Panchayat Nangal Salangri, Tehsil & Distt. Una (HP)

Environmental Public Hearing on the proposal submitted by Sh. Bhupinder Thakur, Prop. M/s Shiva Stone Crusher, VPO Dhamandri, Tehsil & Distt. Una (HP) for extraction of sand, stone and bajri @ 32,000 MTPA from Khasra Nos., 596 & 599 falling in Mauza & Mohal Sanjhot, Tehsil & Distt. Una (HP) over an area measuring 02-47-13 Hectares (Private Land, Hill Slope), was organized by HP State Pollution Control Board, Regional Office Una on 23/09/2025 at 11:30 AM at Open Ground Near Panchayat Ghar of Gram Panchayat Nangal Salangri, Tehsil & Distt. Una (HP). This public Hearing was organized by HP State Pollution Control Board under the Chairmanship of Additional Deputy Commissioner Una cum Chairman of Environmental Public Hearing, according to prescribed process of public Hearing.

In the Public Hearing, Mining Officer Una, Officers/Officials of various Departments of local Administration, Representatives of local Gram Panchayats and residents of local & nearby villages were also present. The attendance sheet of participants in the public hearing is enclosed as **Annex-I.**

First of all, Er. Praveen Kumar, Regional Officer, HP State Pollution Control Board Una, welcomed the Chairman, Officers/Officials of various Departments of local Administration, representative of Local Panchayats, Project Proponent & their consultant and the Public. Thereafter he gave detailed information to the people present regarding organization of the Environmental Public Hearing and started the process of Environmental Public Hearing with the permission of ADC Una cum Chairman of the Environment Public Hearing.

Thereafter, the Regional Officer, HPSPCB Una requested the Consultant of the Project Proponent from M/s JMS Enviro Care & Innovative Centre, Baddi (HP) to provide the detailed information of their proposed project for the extraction/collection of sand, stone & bajri to the public. After the detailed description of various aspects of proposed mining lease project given by the consultant to the public, the Regional Officer, HP State Pollution Control Board Una asked the people present in the Environment Public Hearing to express their views, comments, suggestion and objections on the proposed mining project, without any fear and pressure from any corner.

Videography of the Public hearing was also conducted. Accordingly, the proceeding of the Environmental Public Hearing was recorded and the same is reproduced hereunder:

S. No.	**Name and Address**	**Issues raised/Suggestions submitted**	**Reply of Issues raised/ Suggestions submitted**
1.	Smt. Asha Devi, Pradhan, Gram Panchayat Nangal Salangri, Tehsil & Distt. Una (HP)	She welcomed all the officials and villagers present at the public hearing program. She said that the proposed mining project will provide employment opportunities to the local people and contribute to the overall development of the area.	

		She also said that the mining activities under the project should be carried out in accordance with the rules prescribed by the Government and keeping the interests of the local people in mind, so that no one faces any inconvenience due to the mining activities. She clearly stated that she is in favour of the establishment of the proposed mining project. Additionally, she mentioned that the project proponent supports social and religious activities of the village and is continuously engaged in efforts for social welfare.	
2.	Sh. Daulat Ram, Village Sanjhot, Gram Panchayat Nangal Salangri, Tehsil & Distt. Una (HP)	He stated that he has no objection to the proposed mining project.	
3.	Sh. Surinder Singh, Village Sanjhot, Gram Panchayat Nangal Salangri, Tehsil & District Una (H.P.)	He stated that he has no objection to the proposed mining project and that this project should be established.	
4.	Shri Kuldeep Singh, Village Sanjhot, Gram Panchayat Nangal Salangri, Tehsil & Distt. Una (HP)	He said that the proposed mining project should be approved and that he has no objection in this regard.	
5.	Sh. Beant Singh, Village Sanjhot, Gram Panchayat Nangal Salangri, Tehsil & Distt. Una (HP)	He stated that he has no objection to the proposed mining project.	
6.	Sh. Arjun Dev, Village & Post Office Dhamandri, Tehsil & Distt. Una (HP)	He said that the proposed mining project should be approved.	
7.	Smt. Madhu Sharma, Gram Panchayat Nangal Salangri, Tehsil & Distt. Una (HP)	She stated that for stone crushers, a public hearing process is conducted and villagers' objections or no-objection statements are taken, and environmental clearance is obtained before their establishment. She asked the Administration whether any public hearing was ever conducted or villagers were consulted regarding the industries already operating in Gram Nangal Salangri. She pointed out that for stone crushers, hearings are repeatedly conducted as per rules; even last year, two public hearings were organized	The Consultant of the Project Proponent, in compliance with the directions issued by the Worthy ADC, Una, has submitted a written response to Smt. Madhu Sharma regarding her objection concerning the non-organization of an Environmental Public Hearing prior to the

		for crushers, but such a process is not followed for other industries. She demanded that the Administration clarify in writing whether only stone crushers cause environmental pollution and whether other industries established in the village cause no pollution or harm. She said that most of the people who previously gave their opinions are employed at the proponent's crusher. She mentioned that two stone crushers had already been granted N.O.C. by villagers in the past, so the current project proponent may also be considered for N.O.C. However, she emphasized that before doing so, the administration must provide a written response to the objections she has raised. She also requested the Gram Pradhan to clarify whether pollution in the village occurs only due to stone crushers or if villagers are affected by other established industries as well. She reiterated that the administration should provide a written response to her objections. She further stated that she had filed complaints in the Panchayat regarding the problems caused by two industries established in the village, but no action was taken. She alleged that during this time, the son of a Panchayat representative was employed in one of these industries, raising doubts about the functioning of the Panchayat. She repeated her question that when two other industries were established in the village, why was no public hearing or consultation ever conducted, whereas for crushers, hearings are repeatedly held. She asked whether this process applies only to crushers. She stated that her house is located near the industries and stone crusher, and she is being affected by pollution. Therefore, she clearly stated that she objects to both the establishment and operation of the proposed mining project as well as the industries already operating in the village, and she strongly demanded that the proposed mining	establishment of two industrial units in Village Nangal Salangri—namely, M/s DD Enterprises (engaged in the manufacturing of cement/fly ash blocks and bricks) and Himkan F&B (Mineral Water). In the written reply dated 23/09/2025, it was clarified that the above-mentioned industrial activities of both units do not fall under the purview of the EIA Notification, 2006 and, therefore, do not require Environmental Clearance for their establishment.

		lease project should not be approved without providing a written response to her objections.	
8.	Sh. Mahendra Singh, Vice-Pradhan, Gram Panchayat Nangal Salangri, Tehsil & Distt. Una (HP)	He stated that, on behalf of his Gram Panchayat, there is no objection to the establishment of any proposed project in the village. He further said that if any individual is opposing these projects, it may be due to personal reasons or mutual enmity; however, these projects have caused no harm to the village. He further stated that these projects have increased employment opportunities in the village, and around 15–20 youths are earning their livelihood by working here. Additionally, the villagers are also getting affordable gravel from these projects.	

The details of the complaint/objection letters received during the proceedings of the public hearing are as follows:

1. Smt. Madhu Sharma, Gram Panchayat Nangal Salangri, Tehsil & Distt. Una (HP)– Complaint letter regarding objections in the public hearing related to Shiva Stone Crusher and other industries, and for not providing the relevant documents. Copy of letter is attached as **Annexure-2**.
2. Smt. Madhu Sharma, Gram Panchayat Nangal Salangri, Tehsil & Distt. Una (HP) – Letter received concerning signatures and N.O.C. of villagers in the environmental public hearing conducted by Ravindra Kumar in 2024. Copy of letter is attached as **Annexure-3**.
3. Smt. Madhu Sharma, Gram Panchayat Nangal Salangri, Tehsil & Distt. Una (HP) – Letter regarding written assurance related to the N.O.C. of industries. Copy is attached as **Annexure-4**.

As per the opinion of the local public, present in the Env. Public Hearing Programme, maximum people are in favour of the proposed mining project.

In the end, Er. Praveen Kumar, Regional Officer, Himachal Pradesh State Pollution Control Board, Una thanked the Chairman and all other participants for participating in this environmental public hearing.

Mahendra Pal Gurjar
Additional Deputy Commissioner
Una, Distt. Una (HP)

श्री भूपिन्द्र ठाकुर, प्रोपः मैसर्ज शिवा स्टोन क्रशर, गांव व डाकघर धमांदरी, तहसील व जिला ऊना (हि.प्र.), के द्वारा खसरा संख्या 596 एवं 599, मौजा व मोहाल संझोट, तहसील व जिला ऊना (हि.प्र.), कुल खनन क्षेत्र 02–47–13 हैक्टेयर (निजी भूमि, पहाड़ी ढलान) में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन, कुल मात्रा 32,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर आयोजित पर्यावरणीय जन सुनवाई की कार्यावाही का विवरण।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आज दिनांक 23.09.2025 को सुबह 11:30 बजे, श्री भूपिन्द्र ठाकुर, प्रोपः मैसर्ज शिवा स्टोन क्रशर, गांव व डाकघर धमांदरी, तहसील व जिला ऊना (हि.प्र.), के द्वारा खसरा संख्या 596 एवं 599, मौजा व मोहाल संझोट, तहसील व जिला ऊना (हि.प्र.), कुल खनन क्षेत्र 02–47–13 हैक्टेयर (निजी भूमि, पहाड़ी ढलान) में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन, कुल मात्रा 32,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर खुला मैदान, नजदीक पंचायत घर, ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी, तहसील व जिला ऊना (हि.प्र.) में पर्यावरणीय जन सुनवाई का आयोजन भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या एस ओ – 1533 (अ) दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अर्न्तगत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माननीय अतिरिक्त उपायुक्त ऊना एवं अध्यक्ष पर्यावरण जन सुनवाई की अध्यक्षता में करवाया गया।

इस पर्यावरणीय जन सुनवाई के दौरान, खनन अधिकारी ऊना, विभिन्न विभागो के अधिकारीगण, स्थानीय ग्राम पंचायतो के प्रतिनिधि, प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और स्थानीय व निकटवर्ती गांवो के निवासी उपस्थित थे। जनसुनवाई की उपस्थिति शीट **संलग्नक–1** के रूप मे संलग्न की गई है।

सर्वप्रथम, श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने अध्यंक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों, स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों, प्रस्तावित इकाई के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और उपस्थित जनता का अभिनन्दन किया। उन्होनें पर्यावरणीय जनसुनवाई के आयोजन के संबंध मे जनसमूह को एक विस्तृत जानकारी दी और तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से जन सुनवाई की कार्यावाही आरम्भ की गई।

तत्पश्चात, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक के परामर्शदाता (मैसर्स जे.एम.एस. एनवायरो केयर एंड इनोवेटिव सेंटर, बद्दी (हिमाचल प्रदेश) को प्रस्तावित खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी जनसमूह को देने का निवेदन किया। इसके उपरान्त प्रस्तावित खनन परियोजना के परामर्शदाता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी उपस्थित जनसमूह कों दी गई। इस विस्तृत जानकारी के उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी ऊना ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्हें प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनें सुझाव, विचार, टिप्पणियां एवं आपत्तियों को बिना किसी दबाव व भय के पूछने को कहा।

इस पर्यावरण जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई। इस पर्यावरण जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार सें हैं:

क्रमांक	नाम व पता	मामले / सुझाव	उत्तर
1.	श्रीमती आशा देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी, तहसील एवं जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने जनसुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं ग्रामवासियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित खनन परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा क्षेत्र का समग्र विकास होगा। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना के अंतर्गत खनन कार्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार तथा स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, ताकि खनन गतिविधियों से किसी को कोई असुविधा न हो। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे प्रस्तावित खनन परियोजना की स्थापना के पक्ष में हैं। साथ ही, उन्होंने बताया कि परियोजना प्रस्तावक ग्राम के सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं तथा सामाजिक कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं।	
2.	श्री दौलत राम, गांव संझोट, ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी, तहसील एवं जिला	उन्होंने कहा कि उन्हें प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है।	

	ऊना (हि.प्र.)		
3.	श्री सुरेन्द्र सिंह, गांव संझोट, ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी, तहसील एवं जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि उन्हें प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है तथा यह परियोजना स्थापित की जानी चाहिए।	
4.	श्री कुलदीप सिंह, गांव संझोट, ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी, तहसील एवं जिला ऊना (हि. प्र.)	उन्होंने कहा कि प्रस्तावित खनन परियोजना को स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए तथा उन्हें इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।	
5.	श्री बेअंत सिंह, गांव संझोट, ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी, तहसील एवं जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि उन्हें प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है।	
6.	श्री अर्जुन देव, गांव व डाकघर धमांदरी, तहसील एवं जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि प्रस्तावित खनन परियोजना को स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए।	
7.	श्रीमती मधु शर्मा, ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी, तहसील एवं जिला ऊना (हि. प्र.)	उन्होंने कहा कि स्टोन क्रशरों के लिए तो जनसुनवाई की प्रक्रिया अपनाई जाती है और ग्रामवासियों से आपत्तियाँ/अनापत्तियाँ ली जाती हैं, और इसको लगाने से पहलें पर्यावरण स्वीकृति ली जाती है। उन्होंने प्रशासन से प्रश्न किया कि ग्राम नंगल सलांगड़ी में पहले से चल रहे उद्योगों के लिए क्या कभी जनसुनवाई आयोजित की गई अथवा ग्रामवासियों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा कि स्टोन क्रशरों के मामले में तो नियमों के अनुसार बार–बार जनसुनवाई करवाई जाती है, गत वर्ष भी दो बार क्रशरों के लिए जनसुनवाई आयोजित की गई, परंतु अन्य उद्योगों के लिए ऐसी प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई जाती। उन्होंने प्रशासन से यह लिखित रूप में स्पष्ट करने की माँग की कि क्या केवल स्टोन क्रशरों से ही पर्यावरण प्रदूषण होता है और ग्राम में स्थापित अन्य उद्योगों से कोई प्रदूषण अथवा हानि नहीं होती। उन्होंने कहा कि उनसे पूर्व अपने विचार रखने वाले अधिकांश व्यक्ति प्रस्तावक के क्रशर पर कार्यरत हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि ग्रामवासियों द्वारा पूर्व में दो स्टोन क्रशरों को एन.ओ.सी. दी जा चुकी है, अतः वर्तमान परियोजना प्रस्तावक को भी एन.ओ.सी. दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। किन्तु उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा करने से पूर्व उनकी उठाई गई आपत्तियों का लिखित उत्तर प्रशासन द्वारा दिया जाना चाहिए। उन्होंने ग्राम प्रधान से भी यह स्पष्ट करने का आग्रह किया कि क्या ग्राम में प्रदूषण केवल स्टोन क्रशरों से ही होता है अथवा अन्य स्थापित उद्योगों से भी ग्रामवासियों को कोई हानि नहीं पहुँचती। उन्होंने पुनः दोहराया कि उनकी उठाई गई आपत्तियों का प्रशासन द्वारा उन्हें लिखित उत्तर प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम में स्थापित दो उद्योगों से हो रही समस्याओं पर उन्होंने पंचायत में शिकायत दर्ज कराई थी, किन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी दौरान	परियोजना प्रस्तावक के परामर्शदाता ने, माननीय एडीसी ऊना द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, श्रीमती मधु शर्मा को उनके उस आपत्ति के संबंध में लिखित उत्तर प्रदान किया है, जिसमें उन्होंने यह मुद्दा उठाया था कि ग्राम नंगल सलांगड़ी में स्थापित दो औद्योगिक इकाइयों मैसर्ज डी.डी. एंटरप्राइजेज (सीमेंट/फ्लाई ऐश से ब्लॉक्स एवं ईंटें बनाने का कार्य) और हिमकैन एफ एंड बी (मिनरल वाटर), के स्थापना से पूर्व, प्रस्तावित खनन परियोजना के समान पर्यावरणीय जनसुनवाई आयोजित क्यों नहीं की गई। इस लिखित उत्तर दिनांक 23.09.2025 में स्पष्ट किया गया कि उक्त दोनों इकाइयों की औद्योगिक गतिविधियाँ ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 के दायरे में नहीं आतीं और अतः उनकी स्थापना के लिए पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

		पंचायत प्रतिनिधि के पुत्र को उक्त उद्योग में कार्य पर रखा गया, जिससे पंचायत की कार्यप्रणाली पर संदेह उत्पन्न होता है। उन्होंने दोहराते हुए यह प्रश्न किया कि जब ग्राम में दो अन्य उद्योग स्थापित किए गए थे, तब उनके संबंध में कभी भी जनसुनवाई या सार्वजनिक परामर्श क्यों आयोजित नहीं किया गया, जबकि क्रशरों के मामले में बार–बार जनसुनवाई की जा रही है। उन्होंने पूछा कि यह प्रक्रिया क्या केवल क्रशरों पर लागू होती है। उन्होंने बताया कि उनका घर उद्योगों और स्टोन क्रशरों के निकट स्थित है तथा वे प्रदूषण से प्रताड़ित हैं। अतः उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें प्रस्तावित खनन परियोजना सहित ग्राम में पहले से स्थापित उद्योगों की स्थापना एवं संचालन दोनों से आपत्ति है, और उन्होंने प्रशासन से जोर देकर माँग की कि उनकी आपत्तियों का लिखित उत्तर दिए बिना प्रस्तावित खनन लीज परियोजना को स्वीकृति न प्रदान की जाए।	
8.	श्री महेन्द्र सिंह, उपप्रधान, ग्राम पंचायत नंगल सलांगरी, तहसील एवं जिला ऊना (हि. प्र.)	उन्होंने कहा कि उनकी ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम में किसी भी प्रस्तावित परियोजना की स्थापना को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति इन परियोजनाओं का विरोध कर रहा है तो यह उसका व्यक्तिगत कारण अथवा आपसी बैर–विरोध हो सकता है, परंतु इन परियोजनाओं से ग्राम को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है। उन्होंने आगे कहा कि इन परियोजनाओं से ग्राम में रोजगार के अवसर बढ़े हैं तथा लगभग 15–20 युवक यहाँ कार्य कर अपनी आजीविका कमा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामवासियों को इन परियोजनाओं से सस्ती बजरी भी उपलब्ध हो रही है।	

जनसुनवाई की कार्यावाही के दौरान प्राप्त हुए शिकायत/आपत्ति पत्रों का विवरण निम्नलिखित है:

1 श्रीमती मधु शर्मा, ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी, तहसील व जिला ऊना (हि.प्र.) का शिवा स्टोन क्रशर एवं अन्य उद्योगो से संबंधित पब्लिक हियरिंग पर आपत्तियां तथ दस्तावेज़ उपलब्ध न करवाने के संबंध में प्राप्त शिकायत पत्र। प्रतिलिपि **संलग्नक–2** के रूप मे संलग्न की गई है।

2 श्रीमती मधु शर्मा, ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी, तहसील व जिला ऊना (हि.प्र.) का 2024 में रविन्द्र कुमार द्वारा पर्यावरण संबंधित जनसुनवाई मे हमारे व ग्रामवसियों के हस्ताक्षर व एन.ओ.सी. के संबंध में प्राप्त पत्र। प्रतिलिपि **संलग्नक–3** के रूप मे संलग्न की गई है।

3 श्रीमती मधु शर्मा, ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी, तहसील व जिला ऊना (हि.प्र.) का उद्योगो की एन.ओ.सी. के संबंध में लिखित आश्वासन से संबंधित पत्र। प्रतिलिपि **संलग्नक–4** के रूप मे संलग्न की गई है।

पर्यावरणीय जनसुनवाई कार्यक्रम मे उपस्थित स्थानीय जनता की राय के अनुसार अधिकतम लोग प्रस्तावित खनन परियोजना की स्थापना के पक्ष मे हैं।

अंतः में श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऊना ने अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सभी प्रतिभागियों का इस पर्यावरण जन सुनवाई मे भाग लेने का धन्यवाद किया।

महेन्द्र पाल गुर्जर
अतिरिक्त उपायुक्त
ऊना, जिला ऊना (हि.प्र.)